आरक्षण के आधार पर प्रतियोगी विद्यार्थियों के मनः स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन

राकेश कुमार

शोधछात्र (शिक्षाशास्त्र)
शिक्षक शिक्षा विभाग
नेहरू ग्राम भारती मानित विश्वविद्यालय,
प्रयागराज (उ0प्र0)

प्रस्तुत अध्ययन का शीर्षक ''आरक्षण के आधार पर प्रतियोगी विद्यार्थियों के मनः स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन'' करना है। उद्देश्य के रूप में सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतियोगी विद्यार्थियों की मनः स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। वर्तमान अध्ययन में कार्योत्तर अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया है। जनसंख्या के रूप में उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद जनपद के प्रतियोगी विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है। जो कि विषमजातीय सीमित वास्तविक जनसंख्या है। प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श के चुनाव हेतु बहुस्तरित न्यादर्शन विधि का प्रयोग किया जायेगा। जिसमें कुल 300 प्रतियोगी विद्यार्थियों का चयन आरक्षण के आधार पर आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के आधार पर किया गया है। आंकड़ों के संकलन हेतु डॉ0 (श्रीमती) कमलेश शर्मा द्वारा निर्मित मानसिक स्वास्थ्य अनुसूची का प्रयोग किया गया। उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आँकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या के लिए प्रसरण विधि (एनोवा) तथा टी–अनुपात सांख्यिकी विधि का उपयोग किया गया है। निष्कर्ष रूप में पाया गया कि– सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतियोगी विद्यार्थियों की मनः स्थिति में भिन्नता है। सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतियोगी विद्यार्थियों की मनः स्थिति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है। सामान्य एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतियोगी विद्यार्थियों की मनः स्थिति में सार्थक अन्तर है। अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतियोगी विद्यार्थियों की मनः स्थिति में सार्थक अन्तर है।

की–वर्ड– सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग, प्रतियोगी विद्यार्थी, मनः स्थिति

प्रस्तावना–

भारत एक विशाल देश है इसमें विभिन्न जाति वर्ग सम्प्रदाय तथा आयु वर्ग के लोगों का निवास है। प्रत्येक वर्ग के लिए जीवन उपयोगी संसाधनों को उपलब्धता समान न होने के कारण अवसरों की समानता उत्पन्न करने हेतु कम संसाधनों वाले वर्ग को अधिक सुविधायें देने हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई। यद्यपि संविधान निर्माताओं ने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य किसी को नौकरी देना नहीं है अपितु भारत में सभी वर्गों के लिए अवसरों में प्रतिनिधित्व की समानता उत्पन्न करना है तथापि जन समुदाय की दृष्टि में आरक्षण नौकरी प्राप्त करने के लिए कम योग्यता वाले लोगों का जातिगत हथियार बन गया है। आरक्षण व्यवस्था के फलस्वरूप जातियों का प्राचीन संगठन अधिक स्पष्ट व मजबूत होने लगा, जिससे जन प्रतिनिधि असमानता

के वर्ग विशेष को जाति के वर्ग विशेष की दृष्टि से देखने लगे तथा वर्ग जातियों का सामूहिक मत प्राप्त करने के हथियार के रूप में प्रयोग करने लगे। परिणामतः दस वर्षों के भीतर अवसरों की समानता उत्पन्न करने की दृष्टि से योग्यता के अवमूल्यन पर लागू होने वाला यह आरक्षण प्रत्येक दशा में कुछ अधिक वर्ग के लिए प्रावधानों के साथ लागू किया जाने लगा। इसके फलस्वरूप देश में दो वर्ग बन गये–

1. जिनके लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था है।
2. वे वर्ग जिनके लिए जातिगत आरक्षण की व्यवस्था नहीं है।

जातिगत आरक्षण की व्यवस्था वाले वर्ग को नित नवीन सुविधाओं की आवश्यकता पड़ रही है।

जबकि दूसरा वर्ग संविधान प्रदत्त अवसरों की समानता के सिद्धान्त के बावजूद अपने हाथ कटे देखता है वह देखता है कि अत्यन्त उच्च मेरिट के बावजूद उसके लिए अवसरों की अनुपलब्धता है जबकि वर्ग विशेष के लिए अवसर खाली पड़े हैं। उसे यह समझ में नहीं आता की भारत में जन्म लेने के बाद, उच्च योग्यता हासिल करेन के बाद, परिश्रम करने के बाद सामान्य नागरिक के समस्त दायित्वों का निर्वहन करने के बावजूद भी उसकी क्षमताओं का देश समाज तथा स्वयं उसके हित में उपयोग करने पर यह प्रतिबन्ध क्यों है वह सेवा में जाने के लिए योग्यता को ही एक मात्र मापक समझता है उसे तक कष्ट अधिक होता है जब अधिक अंक पाकर भी उसका चयन नहीं होता और वर्ग विशेष के अभ्यर्थियों का चयन अत्यन्त कम अंकों पर हो जाता है। देश व समाज के लिए उच्च क्षमता वाले क्रियाकलापों के लिए ऐसी व्यवस्थाओं को वह अभिशाप समझता है तथा अवसरों की समानता के नाम पर जारी इस व्यवस्था के कारण वह अपने से अत्यन्त कम क्षमता वाले को, समान समय में सेवा शुरू करने वाले को अपने ऊपर अधिकारी के रूप में देखा आक्रोशित होता है। राजनीतिज्ञों की महत्वाकांक्षाओं, बाटों और राज करो की नीति के परिणामस्वरूप उसमें हो रही दैनंदनीय वृद्धि व संविधान की व्याख्या पर आरोप न्यायालयों के लिए नित नवीन समस्यायें उत्पन्न कर रहा है।

शिक्षा में असमानताओं के उपर किये गये अध्ययनों, जैसे– क्षेत्रिय ग्रामीण– नगरीय, लिंग और जातिगत असमानताओं, स्कूल और कॉलेजों में प्रवेश में असंतुलनों, और असमानताओं के परिणाम से सिद्ध होता है। इन सभी अध्ययनों ने लाभों से वंचित लोगों के स्तर और पहचान पर शिक्षा के प्रभाव को इंगित किया है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर किये गये अध्ययनों से संकेत मिलता है कि जब तक वे लोग शैक्षिक रूप से पिछड़े रहेगे तब तक उन्हे आर्थिक मदद या उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षित प्रवेश के रूप में संरक्षणात्मक भेद भाव प्रदान करना है।

समाज के कमजोर तबके के लिए शिक्षा का विशेष महत्व है क्योंकि कई शताब्दियों तक उनकी निरक्षरता और सामाजिक पिछड़ेपन को उनके आर्थिक शोषण, पीड़ा व अवमानना के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। कम विशेषाधिकार प्राप्त समूहो और आम जनता की समस्यायें परिणात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूपों से भिन्न है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की अपेक्षा आमजन की साक्षरता दर 15 से 23 प्रतिशत अधिक है।

मनः स्थिति से तात्पर्य है मन तथा मस्तिष्क की वह अवस्था जब व्यक्ति अपने वातावरण के साथ समायोजित हो। जीवन की प्रत्येक चुनौती के प्रति तैयार रहता हो। स्वयं से संतुष्ट हो और अपने कार्यो तथा उत्तरदायित्वों के प्रति निष्ठावान हो। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की जीवन से तारतम्यता एवं जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है।

कुप्पुस्वामी ने इस विषय में कहा है कि मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है, व्यक्ति के दैनिक जीवन में भावनाओं, इच्छाओं महत्वकांक्षाओं और आदर्शो में एक सतुंलन स्थापित करने की योग्यता हो। अर्थात् उसमें जीवन की वास्तविकता का सामना करने व उसे स्वीकार करने की योग्यता हो।

भारत देश में विभिन्न जाति वर्ग, सम्प्रदाय तथा आयु वर्ग के लोगों का निवास है। प्रत्येक वर्ग के लिए जीवन उपयोगी संसाधनों की उपलब्धता में समानता न होने के कारण अवसरों की समानता उपलब्ध करने हेतु कम संसाधनों वाले वर्ग को समान सुविधायें देने हेतु आरक्षण की व्यवस्था की गई। आरक्षण का उद्देश्य किसी को नौकरी देना नहीं है अपितु भारत में सभी वर्गों के लिए अवसरों में प्रतिनिधित्व की समानता उत्पन्न करना है।

अच्छा स्वास्थ्य मनुष्य के लिए एक वरदान से कम नहीं होता। एक स्वस्थ्य व्यक्ति जीवन के सभी उतार चढ़ाव झेलने का साम्थर्य रखता है। उसमें विचलन की प्रवृत्ति कम देखने को मिलती है, क्योंकि वह प्रत्येक स्थिति का सामना करने हेतु तैयार रहता है। अच्छा स्वास्थ्य चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक व्यक्ति के प्रत्येक कार्य की निष्पत्ति परिणामों पर अपना व्यापक प्रभाव डालता है।

मानसिक रूप से स्वास्थ्य व्यक्ति के संतुलनपूर्ण व्यवहार का सीधा प्रभाव सर्वप्रथम स्वयं उसी व्यक्ति पर पड़ता है। वह व्यक्ति जो मानसिक रूप से संतुलित है, सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं खोता। विद्यार्थी के लिए मानसिक स्वास्थ्यता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यह इसलिए है, जिससे कि उसकी अधिगम प्रक्रिया निर्बाध रूप से सम्पन्न हो सके। उचित मानसिक स्वास्थ्य का धारण करने वाला व्यक्ति का व्यक्तित्व एवं व्यवहार संतुलित रहता है, एवं कार्य निष्पादन भी श्रेष्ट होता है।

इसके विपरीत यदि विद्यार्थी चिन्तित रहता है उसका मन किसी कार्य के प्रति एकाग्र नहीं हो पाता वह दुविधायुक्त एवं सदैव विचलित रहता है तो इसका सीधा प्रभाव उसके मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए विद्यार्थी की सर्वांगीण उन्नति हेतु उसका मानसिक रूप से स्वस्थ रहना अत्यन्त आवश्यक है।

आज आरक्षण व्यवस्था के दुष्परिणाम इस प्रकार से भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंदर घुल चुका है कि योग्यता वाले नौकरी और अन्य सुविधाओं से वंचित होते जा रहे है साथ ही कम योग्यता वाले या अयोग्य व्यक्ति हर क्षेत्रों में आरक्षण कोटे के नाम पर चयनित किये जा रहे हैं। जिससे जातीय तनाव तो बढ़ ही रहे हैं, दूसरी तरफ व्यापार प्रशासन, राजनीति, शिक्षा, न्यायपालिका, बीमा, तकनीकी एवं स्वास्थ्य जैसे सेवाओं का स्तर भी दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है।

दूसरे तरफ इस आरक्षण व्यवस्था से सवर्ण जातियों में पिछड़ों के प्रति दिन–प्रतिदिन आक्रोश बढ़ रहा है, जिससे भविष्य में जातिगत दुष्परिणाम, राजनीतिक दुष्परिणाम, सामाजिक

दुष्परिणाम, शैक्षणिक दुष्परिणाम जैसी अनेक समस्यायें दिन प्रतिदिन गंभीर से गंभीरतम होती जा रही है।

अतः आरक्षण का विभिन्न वर्गों के विद्यार्थियों की मनःस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है व आरक्षण के चलते वे अपने आपको कैसे समायोजित कर रहे है।

समस्या कथन–

''आरक्षण के आधार पर प्रतियोगी विद्यार्थियों के मनः स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।''

शोध का उद्देश्य

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्यों का अध्ययन किया गया है–

1. आरक्षण के आधार पर प्रतियोगी विद्यार्थियों के मनः स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना।
2. सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतियोगी विद्यार्थियों की मनः स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन करना।

शोध की परिकल्पनाएँ

प्रस्तुत अध्ययन में उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्नलिखित शून्य परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है–

1. प्रतियोगी विद्यार्थियों के मनः स्थिति पर आरक्षण का कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।
2. सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतियोगी विद्यार्थियों की मनः स्थिति में सार्थक अन्तर नहीं है।

शोध–विधि–

जब किसी भी शोध कार्य में घटनाओं और उसके द्वारा हुये प्रभाव को देखा जाता है या उसके द्वारा विकास को निरूपित किया जाता है तो कार्योत्तर अनुसंधान विधि का प्रयोग किया जाता है।

वर्तमान अध्ययन में कार्योत्तर अनुसंधान विधि का प्रयोग किया गया है।

जनसंख्या–

वर्तमान शोध की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए शोधकर्ता ने शोध की जनसंख्या के रूप में उत्तर प्रदेश में स्थित इलाहाबाद जनपद के प्रतियोगी विद्यार्थियों को सम्मिलित किया गया है, जो कि विषमजातीय सीमित वास्तविक जनसंख्या है।

न्यादर्श–

प्रस्तुत अध्ययन में न्यादर्श के चुनाव हेतु बहुस्तरित न्यादर्शन विधि का प्रयोग किया जायेगा। जिसमें कुल 300 प्रतियोगी विद्यार्थियों का चयन आरक्षण के आधार पर आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के आधार पर किया गया है।

प्रयुक्त उपकरण–

आंकड़ों के संकलन हेतु डॉ0 (श्रीमती) कमलेश शर्मा द्वारा निर्मित मानसिक स्वास्थ्य अनुसूची का प्रयोग किया गया।

सांख्यिकीय विधियाँ–

उद्देश्य की प्राप्ति हेतु आँकड़ों के विश्लेषण एवं व्याख्या के लिए प्रसरण विधि (एनोवा) तथा टी–अनुपात सांख्यिकी विधि का उपयोग किया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या–

1. **आरक्षण के आधार पर प्रतियोगी विद्यार्थियों के मनः स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना। प्रभाव का विश्लेषण एवं व्याख्या–**

H_1 **सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतियोगी विद्यार्थियों की मनः स्थिति में सार्थक अन्तर है।**

H_{01} **सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतियोगी विद्यार्थियों की मनः स्थिति में सार्थक अन्तर नहीं है।**

सारणी सं0 –1

सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतियोगी विद्यार्थियों की मनः स्थिति में अन्तर को दर्शाते हुए एफ–अनुपात

स्रोत	df	SS	MS	F	सारणी मान
समूहों के मध्य	2	2678.46	1339.23	10.02*	F.05(2,297) =3.04
समूहों के अन्दर	297	39809.66	133.59		
कुल	299	42488.12	1472.82		

'.05 स्तर पर सार्थक

सारणी संख्या 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि एफ–अनुपात का मान 10.02 हैं, जो .05 सार्थकता स्तर पर df (2, 297) पर सारणी मान 3.04 से अधिक है। अतः शून्य परिकल्पना निरस्त की जाती है। इस सार्थक एफ अनुपात के आधार पर कहा जा सकता है कि सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतियोगी विद्यार्थियों की मनः स्थिति में भिन्नता है।

सारणी सं0 – 1

सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतियोगी विद्यार्थियों की मनः स्थिति के मध्यमानों के अन्तर का टी–अनुपात

क्र.सं.	चर	न्यादर्श (N)	मध्यमान (M)	σ_D	D	t-मान	सार्थक / असार्थक
1.	सामान्य वर्ग	100	71.56	1.63	0.63	0.39	असार्थक
	अन्य पिछड़ा वर्ग	100	70.93				
2.	सामान्य वर्ग	100	71.56	1.63	6.63	4.06	सार्थक

	अनुसूचित जाति वर्ग	100	64.93				
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	100	70.93	1.63	6.00	3.67	**सार्थक**
	अनुसूचित जाति वर्ग	100	64.93				

सारणी संख्या 4.4.1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतियोगी विद्यार्थियों की मनः स्थिति के मध्यमानों के मध्य टी–मान 0.39 है, जो .05 सार्थकता स्तर पर अन्तर सार्थक नहीं है। जबकि सामान्य एवं अनुसूचित जाति वर्ग तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतियोगी विद्यार्थियों की मनः स्थिति के मध्यमानों के मध्य टी–मान क्रमशः 4.06 एवं 3.67 है, जो .05 सार्थकता स्तर पर अन्तर सार्थक है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतियोगी विद्यार्थियों की मनः स्थिति में सार्थक अन्तर है।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतियोगी विद्यार्थियों की मनः स्थिति में भिन्नता है अर्थात् आरक्षण का प्रतियोगी विद्यार्थियों के मनः स्थिति पर ऋणात्मक प्रभाव डालता है।

निष्कर्ष–

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये–

- सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतियोगी विद्यार्थियों की मनः स्थिति में भिन्नता है।
  - सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतियोगी विद्यार्थियों की मनः स्थिति में कोई सार्थक अन्तर नहीं है।
  - सामान्य एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतियोगी विद्यार्थियों की मनः स्थिति में सार्थक अन्तर है।
  - अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतियोगी विद्यार्थियों की मनः स्थिति में सार्थक अन्तर है।

शैक्षिक निहितार्थ–

प्रस्तुत अध्ययन में प्राप्त निष्कर्षों में आरक्षित एवं अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों के मनः स्थिति में अन्तर पाये जाने का कारण जाति सबसे बड़ा कारक होता है। जहाँ भारत में सामान्य जाति के लोगों को आरक्षण न प्रदान होते हुए भी उनकी सामाजिक–आर्थिक स्तर उच्च होती है जिससे उनके मनः स्थिति उच्च होना स्वाभाविक है वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों की सामाजिक– आर्थिक कम या निम्न स्तर की होती है जिससे उनमें तनाव, अवसाद, चिन्ता, दुश्चिंता आदि बनी रहती है जिससे उनके मनः स्थिति कमजोरी होती है। अतः पूर्व में शोध अध्ययन द्वारा इंगित होता है जिसमें **तलवार एवं दास (2014)** जाति के आधार पर माध्यमिक स्तर के छात्रों–छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य में सार्थक अन्तर पाया गया। **बमागोल्ड**

एवं अन्य (2011) ने अध्ययन में पाया कि परिवेश के आधार पर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य में अन्तर पाया गया।

आरक्षित वर्ग के प्रतियोगी विद्यार्थियों की मनः स्थिति निम्न स्तर की जबकि अनारक्षित वर्ग के विद्यार्थियों की मनः स्थिति उच्च स्तर का पाया जाना इस बात को इंगित करता है कि प्रतियोगी विद्यार्थियों पर आरक्षण का ऋणात्मक प्रभाव प्रदर्शित होता है। इसका कारण यह हो सकता है कि आरक्षित वर्ग के प्रतियोगी विद्यार्थियों की पारिवारिक वातावरण शिक्षा के दृष्टिकोण से निम्न स्तर का होना जहाँ आरक्षित वर्ग के परिवार में अधिकतर लोग मजदूरी, दुकान एवं छोटे–मोटे व्यापार करते है वहीं बच्चों की शिक्षा–दीक्षा पर अधिक ध्यान नहीं दे पाते है एवं उन्हें पढ़ाने भी है तो बच्चों के भविष्य के बारें में अधिक नहीं सोच पाते है कि उन्हें किस दिशा में भेजना है एवं आये दिन बच्चों को पैसों के लिए बात सुनना पड़ता है जिससे उनमें कुण्ठा, तनाव, अवसाद आदि रहता है जिससे उनकी मनः स्थिति अच्छी नहीं हो पाती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची–

- अल–कैशी, लामा, एम. (2011). द रिलेशन ऑफ डिप्रेशन एण्ड एन्जांटी इन ऐकेडमी एचिवमेन्ट एमंग ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेन्स, इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ साइकोलॉजी एण्ड कॉउन्सिलिंग, वाल्यूम–3(5), पृ0 96–100 www.academicjournals.org/IJPC
- अल्वी रजा एवं बेनडेकी (2005). ''मेन्टल हाईजीन ऑफ द स्पेशल स्कूल टीचर्स इन करमान, ईरान''. http://www.ncbi.nlm.nih.gov.pubmed/15844850
- कुमारी, सुधा एवं जाफरी, सदफ (2014). उत्तर प्रदेश बोर्ड के उच्च माध्यमिक विद्यार्थियों का मानसिक स्वास्थ्य व शैक्षिक उपलब्धि, जर्नल ऑफ कम्यूनिटी गाइडेन्स एण्ड रिसर्च, 31(2), पृ0 187–199
- पुवा, पोह क्योंग एवं अन्य (2015). द रिलेशनशिप बिटविन मेन्टल हेल्थ एण्ड ऐकेडमी एचिवमेन्ट एमंग यूनिवर्सिटी स्टूडेन्ट– ए लिट्रेचर रिव्यू, ग्लोबल इलूमिनिस्ट्रेटर पब्लिशिंग, मल्टीडिसिपिलनरी स्टडिज, पृ0 755–764 www.globalilluminators.org
- तलवार, एम.एस. एवं दास, अन्निदिता (2014). द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटविन ऐकेडमी एचिवमेन्ट एण्ड मेन्टल हेल्थ ऑफ सेकेण्डरी स्कूल ट्राईब स्टूडेन्ट ऑफ असम, पैरीपेक्स– इण्डियन जर्नल ऑफ रिसर्च, वाल्यूम–3, इश्शू–11, पृ0 55–57
- बमागोण्ड एवं अन्य (2011). माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य का उनके शैक्षिक उपलब्धि में सम्बन्ध, जी0सी0टी0ई0 जर्नल ऑफ रिसर्च एण्ड एक्सटेंशन इन एजुकेशन, 6(1)
- वारसी, नियाज (2008). स्नातक स्तर के छात्र एवं छात्राओं के तनाव का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव का अध्ययन, लघु शोध प्रबन्ध, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर।
- सिंह, शशि (2015). मेन्टल हेल्थ एण्ड ऐकेडमिक एचिवमेन्ट ऑफ कॉलेज स्टूडेन्ट, द इन्टरनेशनल जर्नल ऑफ इण्डिया साइकोलॉजी, वाल्यूम–2, इश्सू 4, ISSN 2348-5396(e), www.ijip.in